मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित गार्डेनिया एस्टेट, नूर नगर, तलपट मानचित्र सं0 12/2007 (ऐरा ग्रुप द्वारा विकसित) के बन्धित भूखण्डों की ''जहाँ है, जैसा है'' के आधार पर निविदा–सह–खुली–नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें–

1. नीलाम योग्य सम्पत्ति का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा नीलामी की तिथि विज्ञापन/प्राधिकरण की वेबसाईट/नोटिस बोर्ड में उल्लिखित हैं।
2. निविदा–सह–नीलामी में भाग लेने हेतु पात्रता–

   (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

   (ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।

   (ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अथवा वैध वाँछित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

   (घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अथवा अन्य वैध वाँछित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

   (ड.) व्यक्तिगत स्वामी।

   (च) रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी (को–आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

   (छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

   (ज) एच0यू0एफ0।

   (झ) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्में।

   (ण) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।
3. निविदा–सह–नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को नीलामी के समय दिये गये प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं हैं।
4. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पैन एवं आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. विज्ञापन में उल्लिखित तिथि को प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये 'निविदा बाक्स' में ''स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तो के साथ'', केवल मुहरबन्द निविदायें (संलग्नक–1), पूर्वान्ह 11.00 बजें से अपरान्ह 2.00 बजे तक डाली जाएँगी। बोली में भाग लेने वाले आवेदक, नीलामी आवेदन पत्र (संलग्नक–2) में भरकर अपने साथ रखेंगे, और उसी के आधार पर बोली में प्रतिभाग करेंगे। यह ध्यान रहे कि संलग्नक–2 का आवेदन पत्र 'निविदा बॉक्स' में कदापि नहीं डाला जाएगा।
6. नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय के सभा कक्ष में विज्ञापन में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर नीलामी समिति के समक्ष किया जायेगा। नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते हैं:–

आवेदक के हस्ताक्षर।

- जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में "स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तो के साथ" अपनी निविदा के साथ निविदा बॉक्स में डाला है, के द्वारा नीलामी में भी भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्नक–2 के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स की छाया प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा। यदि मूल ड्राफ्ट निविदा बॉक्स में नहीं मिलता है, तब उनकी बोली स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

- जिनके द्वारा मोहरबन्द निविदायें निविदा बॉक्स में नहीं डाली गयी हैं, किन्तु वे सीधे बोली पद्धति से नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, उनके द्वारा बोली प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित प्रारूप संलग्नक–2 के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।

- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के साथ नीलामी में प्रतिभाग करने का अधिकार नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में आवेदक के साथ किसी एक व्यक्ति को अनुमति दी जा सकती है, जिसकी पूर्व अनुमति नीलामी शुरू होने से 2 घन्टे पूर्व सचिव से लेनी होगी।

- यदि आवेदनकर्ता स्वयम् उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयम् पूर्ण करके स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं। प्रतिनिधि के माध्यम से नीलामी में प्रतिभाग करने के लिये आवेदनकर्ता/फर्म/कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराईजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी समिति के समक्ष अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी, प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्मे एवम् एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित सभी आवश्यक कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।

- निविदा–सह–खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा भूखण्डों के सम्बन्ध में अपनी दरें प्रति वर्ग मीटर में दी जायेगी।

- एक बार बोली बोलने के पश्चात् उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार टेण्डर बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात् निविदा के माध्यम से दी गयी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।

7. आवेदक जिस भूखण्ड हेतु निविदा, टेण्डर बॉक्स में डालेगा, वह उसी पर बोली बोलने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने पर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चैक्स/बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर,

आवेदन पत्र पृथक–पृथक से प्रस्तुत करने होगे, जिसमें संन्निहित धरोहर धनराशि उसी सम्पत्ति के लिये निर्धारित धरोहर धनराशि के समतुल्य होगी।

8. नीलामी समिति, नीलामी समाप्त होने, मोहरबन्द निविदा खोलने के उपरान्त अपनी संस्तुति गुण–दोष के आधार पर उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को प्रस्तुत करेगी। उपाध्यक्ष को निविदा/बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उपाध्यक्ष उच्चतम् निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताए निरस्त कर सकते हैं। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

9. उच्चतम् बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि (जमा धनरोहर राशि का समोयोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आवंटन पत्र/आवंटन–कम–किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75% धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगी :–

(अ) भूखण्ड की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 13% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन ऑफर/आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ–1–14–30विविध /2014 दिनाँक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

(ब) पहली छमाई किश्त, बोली अथवा निविदा स्वीकति पत्र जारी होने के छः माह में देय होगी, जिसका किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें/देय धनराशि विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

10. निविदा/नीलामी में आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/पे–आर्डर में से केवल उच्चतम् बोलीदाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/पे–आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगें।

11. निविदा अथवा बोली स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

12. भूखण्ड का विधिवत् आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी। भूखण्ड के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो भूखण्ड से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता, भूखण्ड के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में भूखण्ड की बहाली कराना चाहे तो दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर।

07–12–2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड दर की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:–

मद सं0–08	प्राधिकरण की योजनाओं में आबंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिडयूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया– (1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय। (2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।

13. कब्जा हस्तान्तरण–

(अ) आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(ब) किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज़ पर सम्पत्ति का कब्जा 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन ऑफर/आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ–1–14–30विविध /2014 दिनाँक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किश्तों की धनराशि अप–टू–डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

14. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/– प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

15. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम् मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय

अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। सम्पत्ति कार्नर की होने की दशा में सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।

16. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज देय होंगे।

17. (1) फ्रीहोल्ड चार्ज का 12 प्रतिशत अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।

(2) बेचे जा रहे भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार शुल्क लगाकर किश्तों में लिया जायेगा।

18. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

19. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तो, प्रतिबन्धों, उप–नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।

20. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साँझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

21. परिसम्पत्ति का आवंटन ''जहाँ है जैसा है'' पद्धति पर किया जायेगा तथा वह निविदा–सह–खुली नीलामी की तिथि से लागू होगा।

22. अन्य शर्ते–

(1) उच्चतम् बोली/निविदादाता/आवंटी को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्ते स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार अनुपालन करना होगा।

(2) निविदा सह नीलामी में निहित भूखण्डों के सापेक्ष किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलाम की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा ।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

(5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर विज्ञापन में उल्लिखित है।

आवेदक के हस्ताक्षर।

(6) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगीं।

(7) परिसम्पत्ति का आवंटन उच्चतम् बोली/निविदा को प्रचलित सिद्धान्त पर ''जहाँ है जैसा है'' के तहत किया जायेगा।

(8) विक्रीत भूखण्ड पर भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0–भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011) के अनुसार अनुमन्य होगा।

<u>(9) आवेदक कृपया निविदा–सह–नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड व वेबसाईट पर इच्छित सम्पत्ति की रिक्तता की स्थिति ज्ञात कर लें।</u>

(10) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तो में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि उच्चतम् बोली/निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

<u>निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा–</u>

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

....

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पताः–

नाम...

पिता का नाम...

पता...

....

आवेदक के हस्ताक्षर।

<u>संलग्नक–1</u>

संख्या ....

निविदा तिथि– संलग्नक एक के अनुसार।
निविदायें डालने का समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक।
स्थान– विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

निविदा पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

1. निविदा किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ) भूखण्ड सं0 . . . . (ब) सैक्टर . . . .

(स) पॉकेट . . . . (द) क्षेत्रफल . . . . वर्ग मीटर

(य) कालोनी का नाम . . . .

(आवेदक का पास्पोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

2. आवेदक का नाम (देव नागरी लिपि में)..

(रोमन लिपि में) ....

(आवेदक यदि व्यक्तिगत आधार पर आवेदन कर रहा हैं तो अपना पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि आवेदनकर्ता कम्पनी अथवा फर्म अथवा ट्रस्ट आदि के प्रतिनिधि की हैसियत से आवेदन कर रहे हैं तो कम्पनी अथवा फर्म अथवा ट्रस्ट आदि का पेन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।)

3. आवेदक के पिता/पति का नाम श्री ....

4. आवेदक की आयु . . . . वर्ष, लिंग . . . . वैवाहिक स्थिति . . . .

5. पता . . . .

. . . .

फोन नं0 (निवास) .... (कार्यालय) .... व मोबाईल सं0 ....

6. यदि आवेदक एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से भाग ले रहा है तो आवेदक सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण . . . .

. . . .

. . . .

7. व्यवसाय . . . .

8. यदि प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी, पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म, ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें ....

(क) नाम ....

आवेदक के हस्ताक्षर।

पत्र व्यवहार का पताः–..

....

फोन सं0 (निवास) . . . . (कार्यालय) . . . . व मोबाईल सं0 . . . .

स्थायी पता ....

....

फोन सं0 (निवास) . . . . (कार्यालय) . . . . व मोबाईल सं0 . . . .

(ख) पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है) ....

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है ....

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पताः– ....

....

फोन सं0 (निवास) . . . . (कार्यालय) . . . . व मोबाईल सं0 . . . .

(घ) प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतें– . . . .

. . . .

व्यवसाय :– .... (कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. आवेदक का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम ....

10. धरोहर धनराशि का विवरण– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या...जमा धनराशि अंकन रूपये .... जारीकर्ता बैंक का नाम.......................
....

11. यदि विवरण पुस्तिका प्राधिकरण के वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका के क्रय मुल्य के सापेक्ष जमा धन का विवरण– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या ....
दिनांक .... जमा धनराशि अंकन रूपये ....
जारीकर्ता बैंक का नाम ....

12. आवेदक द्वारा आवेदित सम्मत्ति के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर . . . . रूपये प्रति वर्ग मीटर (शब्दों में . . . . रूपये प्रति वर्ग मीटर)

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम–शर्तो का निविदादाता ने अध्ययन कर लिया गया है जो निविदादाता को मान्य है ।

आवेदन की तिथि.....................

आवेदक के हस्ताक्षर।

संलग्नक–2

संख्या ....

नीलामी तिथि– संलग्नक एक के अनुसार।
नीलामी प्रारम्भ होने का समय– अपरान्ह 2.30 बजें से।
स्थान– विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

नीलामी (बोली) पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

(आवेदक का पास्पोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

1. नीलामी (बोली) किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ) भूखण्ड सं0 . . . . (ब) सैक्टर . . . .

(स) पॉकेट . . . . (द) क्षेत्रफल . . . . वर्ग मीटर

(य) कालोनी का नाम . . . .

2. आवेदक का नाम (देव नागरी लिपि में)...

(रोमन लिपि में) ....

(आवेदक यदि व्यक्तिगत आधार पर आवेदन कर रहा है तो अपना पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि आवेदनकर्ता कम्पनी अथवा फर्म अथवा ट्रस्ट आदि के प्रतिनिधि की हैसियत से आवेदन कर रहे हैं तो कम्पनी अथवा फर्म अथवा ट्रस्ट आदि का पेन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।)

3. आवेदक के पिता/पति का नाम श्री ....

4. आवेदक की आयु . . . . वर्ष, लिंग . . . . .वैवाहिक स्तर . . . .

5. पता . . . .

. . . .

फोन सं0 (निवास) . . . . (कार्यालय) . . . . व मोबाईल सं0 . . . .

6. यदि आवेदक एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से भाग ले रहा है तो आवेदक सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

7. व्यवसाय . . . .

8. यदि प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी, पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म, ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त

आवेदक के हस्ताक्षर।

से भिन्न हो तो उल्लेख करें . . . . (क) नाम . . . .
. . . .

पत्र व्यवहार का पता :– . . . .

. . . .

फोन सं0 (निवास) . . . . (कार्यालय) . . . . व मोबाईल सं0 . . . .

स्थायी पता :– . . . .

. . . .

(ख) पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है) . . . . नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है . . . .

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:– . . . .

. . . .

फोन सं0 (निवास) . . . . (कार्यालय) . . . . व मोबाईल सं0 . . . .

(घ) प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतें– . . . .

. . . .

व्यवसाय:– . . . .

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. आवेदक का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम ....

10. धरोहर धनराशि का विवरण– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे–आर्डर सं0..जमा धनराशि अंकन रूपये .... जारीकर्ता बैंक का नाम.......................................

....

11. यदि विवरण पुस्तिका प्राधिकरण के वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका के क्रय मुल्य के सापेक्ष जमा धन का विवरण– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या .... दिनांक .... जमा धनराशि अंकन रूपये .... जारीकर्ता बैंक का नाम ....

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम–शर्तो का बोलीदाता ने अध्ययन कर लिया गया है, जो बोलीदाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि.....................

आवेदक के हस्ताक्षर।

आवासीय सम्पत्तियों की निविदा सह नीलामी का प्रोग्राम

निविदा तिथि व समय–	04–07–2019 को पूर्वान्ह 11 बजें से अपरान्ह 2.00 बजे तक।		नीलामी तिथियाँ व समय–	04–07–2019 को पूर्वान्ह 11 बजें
निविदा हेतु स्थान	विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार		नीलामी का स्थान	विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार
निविदा हेतु स्थान	विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार		नीलामी का स्थान	विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार

- विवरण पुस्तिकायें, आवेदन पत्र सहित प्राधिकरण की वेबसाईट **(www.mdameerut.in)** पर उपलब्ध। विवरण पुस्तिका, निविदा–नीलामी में गैर आवासीय सम्पत्तियों हेतु उपयोग लाने पर ₹ 1,000/– प्रति विवरण पुस्तिका का ड्राफ्ट पृथक से देय होगा।
- देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।

क्र0 सं0	ग्राम का नाम व कालोनी का नाम	भूखण्ड सं0	भूखण्ड का प्रयोजन	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आरक्षित दर	कीमत	धरोहर राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	गार्डेनिया एस्टेट, नूर नगर, तलपट मानचित्र सं0 12/2007 (ऐरा ग्रुप द्वारा विकसित)	A-179	आवासीय	250.84	11600	2909744	290974
2.		A-186	आवासीय	237.47	11600	2754652	275465
3.		N-40	आवासीय	169.84	12760	2167158	216716
4.		N-128	आवासीय	100.33	11600	1163828	116383
5.		N-130	आवासीय	100.33	11600	1163828	116383
6.		N-225	आवासीय	125.42	11600	1454872	145487
7.		N-227	आवासीय	125.42	11600	1454872	145487
8.		N-228	आवासीय	151.34	13920	2106653	210665
9.		N-229	आवासीय	139.63	12100	1689523	168952
10.		N-230	आवासीय	128.76	12100	1557996	155800
11.		N-231	आवासीय	240.00	13920	3340800	334080

आवेदक के हस्ताक्षर।

संख्या ....

मेरठ विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र

के अन्तर्गत

गार्डेनिया एस्टेट, नूर नगर, तलपट मानचित्र सं0 12/2007

(ऐरा ग्रुप द्वारा विकसित)

के बन्धित भूखण्डों की ''जहाँ है, जैसा है'' के आधार पर निविदा–सह–खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

fooj.k ifLrdk

निविदा–सह–नीलामी का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड़ सूचना/समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के अनुसार।

(विवरण पुस्तिका के विक्रय करने की अवधि : विज्ञापन दिनांक से नीलामी दिनांक तक)

विवरण पुस्तिका मूल्य रूपये 1000/–

आवेदक के हस्ताक्षर।